कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 19-31-82/(17-18)/ 9057 बैतूल/दिनांक 31/7/18

प्रारंभिक अधिसूचन

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक–1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना हैं, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षे. (हे.) में।	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतल म0प्र0	बैतूल	डूडाबोरगांव	8.409	कार्यापालन यंत्री, ज. सं.संभाग क्रमांक 2, बैतूल	गढा जलाशय (मध्यम परियोजना)

अनुसूची– 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	नया ख.नं.	कुल रकबा हे.	अर्जित भूमि का रकबा हे.
		3	4	5
1	2			
1	परसराम वल्द मौजीलाल जाति गौली	2	0.158	0.158
		4	0.421	0.421
		5	0.628	0.628
2	मुस्तफा वल्द युसुफ जाति मुसलमान	8/1	2.230	1.506
3	सुरज मुरत आन्नद वल्द बारीक गौली	8/2	0.639	0.639
4	नन्ही पिता रामा जाति गौली	10	4.096	1.030
5	भादु वल्द चिन्त्या जाति गौली	11	1.692	0.380
6	चिनत्या वल्द मौजीलाल गौली	50	3.400	2.020
		51	4.868	0.700
7	नारायणलाल शान्तीलाल वल्द माधोलाल भैरूलाल वल्द रतनलाल जाति जाट सा. खेडीसावलीगढ			
		52	0.547	0.547
8	ननकी बेवा जिकरी वगैरह	59	1.21	0.380
			19.881	8.409
	योग			

1. चूंकि गढा जलाशय (मध्यम परियोजना), हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा हैं। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित हैं।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतुल के कार्यालय में किया जा सकता हैं।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिश्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की बेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(शशांक मिश्र) 3/1/2

कलेक्टर बैतूल, एवं समुचित सरकार,
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्र0...19 31...82 / वर्ष 17–18 / ......9057 बैतूल / दिनांक 31/7/18

प्रतिलिपिः–

1. उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजस्व भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेशित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
3. कार्यलपान यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल कर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भितर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी एन.आई.सी. सेन्टर, बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किये जाने हेतु अग्रेशित।
5. प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय, बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेशिम एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भितर भेजना सुनि चत करें।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतुल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेशित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भितर भेजना सुनि चत करें।
7. तहसीलदार बैतुल की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेशित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भितर भेजना सुनि चत करें।
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेशित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
9. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत कोदारोटी (डूडाबोरगांव) तहसील बैतूल जिला बैतूल म0प्र0 की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर बैतूल, एवं समुचित सरकार,
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग